न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/सीलिंग/3866/2009/जैसलमेर

अब्दुल अजीज पुत्र कालूखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम गोमट तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पोकरण।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर जैसलमेर

.....रेस्पोर्डेंट्स

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री ईश्वर देवडा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री ओ0पी0भट्ट, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय

दिनांकः– 05–09–2019

यह अपील राजस्थान राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 (एतद् पश्चात 'अधिनियम 1973') अन्तर्गत धारा 23 (2) के अंतर्गत जिला कलक्टर जैसलमेर के निर्णय दिनांक 27–02–2009 (प्रकरण संख्या 19/2008) के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी पोकरण के आदेश दिनांक 04–07–1986 के द्वारा ग्राम पोकरण के खसरा संख्या 8 में सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहित भूमि में से 60 बीघा भूमि का आवंटन अपीलार्थी के पक्ष में किया गया। उक्त आवंटन

के विरूद्ध नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत उपखण्ड अधिकारी ने स्वप्रेरणा से प्रकरण दर्ज करते हुए आलोच्य आंवटन दिनांक 04-04-1987 निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने निर्णय दिनांक 30-06-1987 के द्वारा स्वीकार कर ली। उक्त आदेश इस आशय के साथ पारित किया कि इस मामले में आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही राजस्थान राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत नहीं की गई है, अतः उक्त नियम के तहत कार्यवाही की जावे एवं उक्त निर्णय में यह भी व्याख्या की गई कि संबंधित नियमों के तहत नये सिरे से यदि कोई कार्यवाही उक्त आवंटन हेतु की जाती है तो उस कार्यवाही में यह आदेश बाधक नहीं माना जावेगा। उक्त आदेश की पालना में मामला राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत संस्थित किया गया एवं अपीलार्थी की बाद सुनवाई प्रश्नगत आवंटन नियम विरूद्ध होने से उसे निर्णय दिनांक 24-05-1988 से अपास्त कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 20-11-1991 के द्वारा अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 24-05-1988 को अपास्त कर निर्णय में दिए गए सम्प्रेषण के आधार पर नये सिरे से निर्णित करने का आदेश प्रदान किया। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसरण में जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा प्रकरण को पुनः संस्थित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में प्रकरण में विचारण करते हुए जिला कलक्टर जैसलमेर ने आदेश दिनांक 27-02-2009 पारित किया। उक्त आदेश इस आशय के साथ पारित किया गया कि अपीलार्थी को ग्राम पोकरण के खसरा संख्या 8 में 60 बीघा भूमि का किया गया आलोच्य आवंटन नियम विरूद्ध हुआ है, जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः नियम 17 (4) राजस्थान राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा अपीलार्थी को किया गया प्रश्नगत आवंटन निरस्त किया जाता है एवं चूँकि यह मामला वर्ष 1986 में किए गए भूमि आवंटन से

संबंधित है एवं अपीलार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर अपना कब्जा एवं निवास होने का कथन किया है, ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी पोकरण को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के आंवटन के संबंध में नियमों के तहत नये सिरे से भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र नियमानुसार आमंत्रित करने की कार्यवाही करें एवं अपीलार्थी द्वारा भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नियमों के तहत वह भूमि आवंटन की पात्रता रखता है अथवा नहीं, इसकी जांच करावे एवं प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखकर उसका निस्तारण गुणावगुण एवं समिति की राय के अनुसार नियमानुसार करें। जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 27-02-2009 से व्यथित अपीलार्थी ने यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी ने बहस में कहा कि आलोच्य आवंटन वर्ष 1986 में अपीलार्थी के पक्ष में किया गया है तथा उक्त आवंटन को लगभ 30 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है तथा मौके पर आवंटी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है एवं वह सद्भावी काश्तकार है। इसके अतिरिक्त आवंटित रकबे पर अपीलार्थी ने अपना आवास निर्मित्त कर रखा है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो वह बेघर हो जाएगा। उनका कहना है कि जिला कलक्टर ने इस तथ्य को नजरन्दाज कर दिया कि ग्राम गोमट एवं पोकरण की सीमाएं जुडी हुई है। इसलिए उक्त आवंटन नियम 17 (3)-ए के तहत पूर्णतया न्यायसंगत था। क्योंकि सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 03-07-1986 को ग्राम सनावडा एवं दिनांक 04-07-1986 को ग्राम पोकरण में जो आवंटित किए गए उन सभी आवंटन की कार्यवाही विवरण पंजिका जो अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को दोनों दिवस को आवंटन में वरीयता दी गई तथा विधिवत गठित सलाहकार समिति द्वारा ही आवंटन किया गया है। उनका तर्क है कि यदि अपीलार्थी को दिनांक 04-07-1986 को किया गया आवंटन अवैध था तो फिर दिनांक 03-07-1986 को किया आवंटन को क्यों नहीं अवैधानिक माना गया।

उनका यह भी तर्क है कि सीलिंग में अवाप्त भूमि का आवंटन करने का प्रावधान सीलिंग अधिनियम में बनाये गये नियम 1973 में है तथा नियम 1973 के नियम 4–ए में कमेटी गठित करने का प्रावधान है। जब उक्त नियमों में विशिष्ट प्रावधान है तो फिर आवंटन नियम 1970 के प्रावधान मामले में लागू नहीं होते है। इस कारण मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 17 दिनांक 13–03–1981 में किए संशोधन का गलत अर्थ निकालकर आक्षेपित निर्णय पारित कर अनियमितता की है। यही नहीं माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपीलार्थी के आवंटन में कपटपूर्ण एवं मिथ्या कार्यवाही का नहीं होने का उद्धरण दिया है। उनका आगे तर्क है कि आलोच्य आवंटन के बाद उसे गैरखातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है तथा नियमानुसार 10 वर्ष बाद वह स्वतः ही आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया है। आगे बताया कि अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार है तथा उसकी आजीविका का स्त्रोत मुख्यतः कृषि ही है तथा वह इससे अपने पूरे परिवार का पालन–पोषण करता है तथा आवंटित रकबे पर उसने मकान बना रखा है। उनका आगे तर्क है कि सीलिंग सरप्लस भूमि का आवंटन कहीं के भी निवासी को किया जा सकता है, इस कारण मात्र तकनीकी आधार पर उसके आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। आगें बताया कि प्रश्नगत भूमि सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई है जो कि विशेष कानूनी प्रावधान है तथा इस पर सामान्य कानून के प्रावधान लागू नहीं होते है एवं सीलिंग नियम, 1973 के नियम 4–ए के तहत जब तक राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना के जरिये कमेटी का गठन नहीं किया जाता है, उक्त नियम के परन्तुक 4 के तहत आवंटन सलाहकार समिति के केवल दो सदस्यों के ही कोरम का प्रावधान है तथा इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के गठन हेतु कमेटी के गठन के लिए अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–02–2009 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश दिनांक 04–07–1986 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय न्यायसंगत, तर्कसंगत व विधि सम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। उनका कहना है कि नियम 7 के अन्तर्गत उद्घोषणा जिसके द्वारा आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गए, वह उद्घोषणा जारी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त नियम 13 के तहत आवंटन सलाहकार समिति गठित करने का प्रावधान है। किसी कृषि भूमि आवंटन के लिए सलाहकार समिति का कोरम न्यूनतम 3 व्यक्तियों का निश्चित किया गया है। उनका आगे कहना है कि नियम 13 (2) के तहत कम से कम एक सप्ताह का नोटिस सलाहकार समिति की बैठक के लिए दिये जाने का प्रावधान है और यह स्पष्ट कहा गया कि नोटिस में दिनांक, समय व स्थान अंकित किए जायेंगे और आवंटन योग्य भूमि की सूची संलग्न होगी। दिनांक 23-06-1986 को जो नोटिस जारी किए गए उनमें समय अंकित नहीं है और भूमि की सूची भी संलग्न नहीं है। इसके अतिरिक्त आवंटी पोकरण का मूल निवासी भी नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रकरण में नियमानुसार उद्घोषणा जारी नहीं होने के कारण वास्तविक भूमिहीनों को भूमि आंवटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त आवंटी सद्भावी काश्तकार नहीं है व अनुसूचित जाति व जनजाति का सदस्य भी नहीं है, जबकि आवंटन नियमों के तहत सीलिंग सरप्लस भूमि के आवंटन में अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तिणें को पहली वरीयता दी जाना प्रावधित है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में हस्तगत अपील सारहीन होना प्रकट होती है तथा आक्षेंपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण उसमें अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारित कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि इस प्रकरण के समान विषयवस्तु वाले मामले से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में दायर रिट याचिका संख्या 4040/1988 में माननीय न्यायालय ने व्याख्या की है कि आवंटी स्वयं को भूमिहीन कृषक सिद्ध करने में असमर्थ रहा है तथा वह उस स्थान का निवासी भी नहीं है, जहां यह भूमि स्थित है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जिला कलक्टर ने आदेश निरस्त करने के सन्दर्भ में किसी भी साक्ष्य का अंश भी रेकार्ड पर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः मेरे विचार में राजस्थान उच्च न्यायालय के विशेष अनुसंधान अवलोकन से जिला कलक्टर जैसलमेर से यह अपेक्षा नहीं थी कि वह उच्च न्यायालय के मत के विरूद्ध जाकर एक नई जांच प्रारम्भ कर अपना निर्णय दें। अतः मामले में जिला कलक्टर द्वारा दिये गये निष्कर्ष का समर्थन नहीं किया जा सकता है। जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा की गयी जांच का मुख्य बिन्दु यह था कि क्या नियम 1973 में वर्णित नियमों की पालना नहीं की गई। जिला कलक्टर को इस विषय में जांच कर यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी कि क्या उक्त नियमों के आवश्यक प्रावधानों की पालना नहीं की गई थी। किन्तु जिला कलक्टर ने आक्षेपित निर्णय को नियम 1970 पर आधारित किया। जिला कलक्टर ने यह भी जांच नहीं की कि घोषणा जारी की गई या नहीं, फिर 167 व्यक्ति कैसे दिनांक 03-07-1986 व दिनांक 04-07-1986 को एकत्रित हो गए।

8. मामले में जिला कलक्टर ने समय पर समिति के सदस्यों का कोरम पूर्ण नहीं होने संबंधी भी निष्कर्ष अंकित नहीं किया। जबकि नियम 1973 के नियम 4-ए में यह प्रावधान है कि समिति के निर्माण हेतु 3 सदस्यों का कोरम होना चाहिए। किन्तु कोरम के सदस्यों में जब तक कोई परिपत्र अन्तर्गत धारा उपनियम (1) आफ रूल 4-ए जारी होता है तो सदस्यों की संख्या 2 हो सकती है। मामलें में राजकीय अधिवक्ता इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई परिपत्र जारी नहीं किया है। समग्र स्थिति यह है कि जिला कलक्टर ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में आक्षेपित निर्णय पारित नहीं किया है। अतः प्रकरण पुनः जिला कलक्टर जैसलमेर को पुनः नये सिरे से जांच कर निर्णय पारित करने हेतु भेजा जाना समीचीन है।

9. उपरोक्त विवेंचन के आधार पर प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–02–2009 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण जिला कलक्टर जैसलमेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ऊपर किए गए सम्प्रेक्षण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य